

फर्द अहकाम

माली

बनाम

जगदीश

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

159/2024

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

07/01/25

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित। वादिनी अनुपस्थित।

न्यायालय समय तक क्लक कर बार
आवाजें लगवाई गईं परन्तु ना तो वादिनी
स्वयं उपस्थित हुईं ना ही उसकी ओर
से कोई अधिवक्ता आदि उपस्थित हुए।

ऐसी हितार्थ इस वादपत्र को आगे
जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत
नही होता है अतः वादिनी का वाद
अदम दायिर अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।